

LIC'S JEEVAN RAKSHAK (WITH PROFITS) एलआईसी का जीवन रक्षक (लाभ सहित)



(UIN: 512N289V01)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)/(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद निगम कहा जायेगा) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त प्रस्तावक और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची मे निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ का बिना ब्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हे उक्त अनूसूची के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभों के सम्बन्ध मे निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनूसूची मे निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक का, जो भुगतान का दावा कर रहा हो / रहे हों , की प्रस्ताव मे उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे मे देय होगा, यदि वह पहले नहीं दिया गया हो.

और एतदुद्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों और सुविधाओं के आधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठाकंन पॉलिसी के अंग माने जायेंगें.

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the fire statements contained and referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the benefits as set out in the schedule, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the benefits having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following

Schedule and every endorsem	ent placed on the Policy b	y the Corporation sl	hall be dee	med p		
मंडल कार्यालय/DIVISIONAL C		अनुसूचि/SC		0.5	शाखा कार्यालय/BRANCH OFFICE	
पॉलिसी संख्या/Policy No.:	मूल बीमाकृत राशि (₹) Basic Sum Assured (₹)	मूल योजना के लिये प्रीगि (₹) /Instalment Pi for Basic Plan (₹)	remium		न देय तिथि: date of premium:	
पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि/Date of Commencement of policy:					न भुगतान की विधि: e of payment of premium:	
	दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि (₹)/Accident Benefit Sum Assured(₹)	/Accident प्रीमियम (₹)/LIC's Accident		अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium: बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि:		
योजना एवं अवधि: Plan and Term:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	premium(₹)		Date	of birth of the Life Assured: व्यक्ति की आयु:	
			\		of the Life Assured:	
पूर्णाविधि की तिथि: Date of Maturity:		कुल प्रीमियम किश्त (₹)/Total Instalment premium (₹)		क्या आयु स्वीकृत है? Whether age Admitted?		
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति/Nominee under Section 39 of the InsuranceAct, 1938: प्रस्ताव संख्या: Proposal No.:						
अगर नामित अवयस्क हो, तो नियुक्त	ninor, the name of the Appointee:			प्रस्ताव की तिथि: Date of the Proposal: लाभ चित्रण संदर्भ क.:		
Benefit Illustration Reference No.:					Benefit Illustration Reference No.:	
प्रस्तावक का नाम और पता/Name & Address of Proposer: बीमित व्यक्ति का नाम और पता/Name & Address of Life Assured:						
वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय	हैं: इसके विवरण पीछे की ओर वि	देए गए हैं./Events on t	he happenir	ng of w	hich benefits are payable: Details are mentioned overleaf.	
बीमा धन किसको मिलेगा / To whom Sum Assured pa	प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उसके समनुदेशिति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद अह के अंतर्गत उसके समनुदेशिति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद अह के अंतर्गत उसके समनुदेशिति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद अह के अंतर्गत उसके सामनुदेशिति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद के अंतर्गत उसके संपदा या केवल पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा. The Proposer or Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act 1938 or Nominees un Section 39 of the Insurance Act 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representative who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy francy Court of any State or Territory of the Union of India.					
प्रीमियम चुकाने की अवधि/Perio during which premium pay		निर्धारित अंतिम किश्त भुगतान की तिथि तक या इसके पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर. Till the stipulated due date of the payment of last premium or earlier death of the Life Assured.				
प्रीमियम भुगतान करने की तिथि/[when premium payable	Dates पूर्व निर्धारित अंतिम ता	पूर्व निर्धारित अंतिम तारीख/On the stipulated due date in				
विशेष प्रावधान: विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है/Special Provisions: And as printed overleaf.						
निगम की ओर से उपरोक्त शाखा कार्यात्वय में हस्ताक्षरित जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है और जिस पते पर पॉलिसी के संम्बन्ध में सभी पत्राचार किया जाना चाहिए. Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed:						
तिथि/Date:						
जाच कर्ता/Examined by: प्रपत्र क्र./Form No.:					कृते प्रमुख/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक p.Chief/Sr./ Branch Manager	
					p.onienor, branch manager	

एजेंसी कोड/Agency Code | एजेंसी का नाम/Agency Name

एजेंट का मोबाइल/टेलिफोन नम्बर

Agent's Mobile / Landline Number

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं/Events on the happening of which benefits are payable :					
घटनाएँ / Events	देय लाभ / Benefits payable				
1. परिपक्वता की उल्लेखित तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी अद्यतन प्रीमियमों के भुगतान द्वारा पूर्ण प्रभावी हो.	मृत्यु पर बीमाकृत राशि देय होगी, जो मूल बीमाकृत राशि या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 10 गुना या मृत्यु की तिथि पर भुगतान किये गये समस्त प्रीमियमों के 105% में से जो भी अधिक है, होगी. उपरोक्त प्रीमियमों में सेवा कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं दुर्घटना लाभ हितलाभ, यदि कोई हो, शामिल नहीं है. निष्ठा वृद्धियाँ, यदि कोई हो, तब देय होगी, जब मृत्यु 5वें पॉलिसी वर्ष के बाद होती है.				
On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.	Sum Assured on Death shall be payable, which is the highest of Basic Sum Assured or 10 times of annualised premium or 105% of all the premiums paid as on date of death. The premiums mentioned above exclude service tax, extra premium and Accident Benefit Rider premium, if any. Loyalty Addition, if any, shall also be payable if death occurs after completion of 5th policy year.				
2. परिपक्वता की उल्लेखित तिथि पर जीवन बीमित के जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी अद्यतन प्रीमियमों के भुगतान द्वारा पूर्ण प्रभावी हो. निष्ठा वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ बीमाकृत राशि देय होगी.	मूल बीमा राशि के साथ निष्ठा मूल्य, अगर निष्ठा मूल्य देय हो.				
2. On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.	Basic Sum Assured along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.				

विशेष प्रावधानः

एलआईसी की दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN: 512B203V02): यदि एलआईसी की दुर्घटना हितलाभ राइडर का विकल्प चुना गया है और वह चालू है: तो 'शर्ते एवं सुविधाएँ' की शर्त सं. 11 दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि के लिए लागू होगी.

यदि एलआईसी दुर्घटना हितलाभ राइडर का विकल्प नहीं लिया गया है: तो 'शर्ते एवं सुविधाएँ' की शर्त सं. 11 लागू नहीं होगी.

Special Provisions:

LIC's Accident Benefit Rider (UIN: 512B203V02): If LIC's Accident Benefit rider is opted for and the same is inforce: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall apply for an amount equal to the Accident Benefit Sum Assured.

If LIC's Accident Benefit rider is not opted for: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall not apply.

इस पॉलिसी में दी गई शर्तें व सुविधायें

1. आयु प्रमाण: प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु घोषित आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनयम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के आधार पर निकाली गई दर से प्रीमियम देय होगा और पॉलिसी आरम्भ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिये निगम द्वारा उस समय प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा, तथापि प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति इसमें उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किशत पर वावे के समय निगम द्वारा निधिरित दर के अनुसार ब्याज के साथ देय होगी, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति द्वारा देय ऋण माना जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी भुगतान राशि से काट लिया जायेगा.

यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शतों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या शतों को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशतें बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी.

2. प्रीमियम का भुगतान: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं त्रैमासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिये रियायत अविध एक माह किंतु कम से कम 30 दिन एवं मासिक प्रीमियमों के लिये 15 दिन की रियायत अविध दी जायेगी. यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अविध समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जायेगी.

रियायत अवधि के दौरान और उस वक्त देय प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी वैध रहेगी और हितलाभ का भुगतान उक्त प्रीमियम तथा अगली वर्षगांठ के पूर्व देय होने वाले अदत्त प्रीमियम की कटौती के उपरांत किया जायेगा.

यदि पॉलिसी कालातीत नहीं हुई है और मृत्यु की दशा में पॉलिसी के तहत दावा किया गया है तब उस पॉलिसी में जहां प्रीमियम भुगतान वार्षिक तरीके के अलावा और कोई तरीका हो, तब अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले भुगतान किये गये प्रीमियम, दावे की राशि से काट लिए जाएंगे.

देय प्रीमियम ''कुल किश्त प्रीमियम'' होगा जिसमें निम्न शामिल होगा :

- (i) मूल योजना के लिये किश्त प्रीमियम
- आगर एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर का विकल्प चुना गया है, तो इस विकल्प के लिए किश्त प्रीमियम.

CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

1. Proof of Age: The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, however, that in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as fixed by the Corporation at the time of claim, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as is granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

 Payment of Premiums: A grace period of one month but not less than 30 days shall be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the unpaid premium/s falling due before the next anniversary of the policy.

If the policy has not lapsed and the claim is admitted in case of death under a Policy where the mode of payment of premium is other than yearly, unpaid premium, if any, falling due before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

The premium payable will be "total instalment premium" which includes $\label{eq:total}$

- (i) Instalment premium for Basic Plan and
- (ii) Instalment premium for LIC's Accident Benefit Rider, if LIC's Accident Benefit Rider option has been exercised.

3. बन्द पॉलिसियों का पुन: प्रवर्तन: यदि पॉलिसी के रियायत अवधि के भीतर बकाया प्रीमियम न जमा करने के कारण पॉलिसी कालातीत हो गयी है तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में, प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 2 क्रमागत वर्ष की अवधि के भीतर तथा परिपक्वता तिथि के पूर्व निगम को सतत बीमायोग्यता का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान के समय निगम द्वारा समय समय पर निधारित दर से छमाही चक्रवृध्दि ब्याज के साथ भुगतान करके पुन: प्रवर्तित कराया जा सकता है. तथापि, निगम बन्द पॉलिसियों के प्रवर्तन को मूल शर्तों पर स्वीकार या संशोधित दरों पर स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है. बन्द पॉलिसी का पुन: प्रवर्तन तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जायेगा तथा विशिष्ट रूप से प्रस्ताव/बीमित व्यक्ति को सूचित कर दिया जायेगा.

दुर्घटनावश हितलाभ राइडर का पुन: प्रवर्तन, यदि इसका चयन किया गया है, तो उसका मूल पॉलिसी के पुन: प्रवर्तन के साथ ही विचार किया जायेगा, अलग से नहीं.

4. जब्ती से सुरक्षा संबंधी नियम: अगर उक्त पॉलिसी के अंतर्गत में तीन वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी आगामी प्रीमियम का नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत समस्त लाभ प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से रियायत अविध की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा.

हालाँकि, यदि इस पाँलिसी के अंतर्गत में कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने और किसी अनुवर्ती प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार न करने के बाद, यह पाँलिसी पूर्णत: अवैध नहीं होगी, बल्कि चुकता पाँलिसी के रूप में रहेगी. मूल बीमाकृत राशि ऐसी राशि में से कम हो जाएगी, जिसे चुकता बीमाकृत राशि कहा जाता है और इसका मूल बीमाकृत राशि से वही अनुपात होगा जो वास्तविक रूप से प्रदत्त प्रीमियमों की कुल संख्या से होगा.

जहां ऐसी पॉलिसी बीमाकृत राशि कम हुई है, उल्लेखित प्रीमियमों के भीतर उनके भुगतान के लिए समस्त दायित्वों से मुक्त होगी, लेकिन वह निष्ठा वृद्धि के लिए योग्य नहीं होगी. पॉलिसी के प्रदत्त होने पर अनुसूची में उल्लेखित विशेष प्रावधानों का लागू होना स्थिगित होगा. यह चुकता मूल्य परिपक्वता की तिथि पर या जीवन बीमित की पूर्व मृत्यु होने पर देय होगी.

उपरोक्त कथन के बावजूद, यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किए जाने के बाद, किसी अनुवर्ती प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की नियत तिथि से 6 माह के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित काटकर मूल बीमाकृत राशि के (क) मूल बीमा पॉलिसी के तहत अदत्त प्रीमियम, मृत्यू दिनांक तक ब्याज के साथ देय होगी – उन्हीं शर्तों पर जैसे कि उस समय पॉलिसी में पुनःप्रर्वतन हेतु किया जाता, और (ख) मूल पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी वर्षगाठें के पूर्व अदत्त प्रीमियम का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू रही हो.

उपरोक्त कथन के बावजूद, यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पांच पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किए जाने के बाद, किसी अनुवर्ती प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की नियत तिथि से 12 माह के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित काटकर मूल बीमाकृत राशि के (क) मूल बीमा पॉलिसी के तहत अदत्त प्रीमियम, मृत्यू दिनांक तक ब्याज के साथ देय होगी – उन्हीं शर्तों पर जैसे कि उस समय पॉलिसी में पुन:प्रवंतन हेतु किया जाता, और (ख) मूल पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी वर्षगाठें के पूर्व अदत्त प्रीमियम का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू रही हो. उपरोक्त के अतिरिक्त, निष्ठा वृद्धि, यदि कोई है, भी तब देय होगी, यदि मृत्यु पाँच पॉलिसी वर्षों के पूर्ण होने के बाद होती है.

ये प्रावधान दुर्घटनावश हितलाभ राइडर के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रदत्त मूल्य नहीं होता है और राइडर लाभ स्थगित हो जाते हैं, अगर पॉलिसी कालातीत स्थिति में है.

5. कर : कर सेवाकर सहित, यदि कोई हो, कर कानून के अनुसार होगा और कर की दर निर्धारित दर पर लागू होगी.

निर्धारित दरों के अनुसार कर की राशि पॉलिसी धारक द्वारा प्रीमियमों पर देय होगी, अगर उस प्रीमियम में अतिरिक्त प्रीमियम एवं दुर्घटना हितलाभ राइडर प्रीमियम शामिल हैं. प्रदत्त कर की राशि पर योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

- 6. विशेष परिस्थियों में जब्ती: यदि पॉलिसी में समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्विक जानकारी छिपाई गई है यह पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इस पॉलिसी से संबंधित किसी भी लाभ के सभी दावे बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे, जैसा समय-समय पर संशोधित हो.
- **7. आत्महत्या :** यह पॉलिसी अवैध हो जाएगी
- यदि बीमित व्यक्ति (मानिसक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रदत्त प्रीमियमों के 80% को छोड़कर, जिसमें कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं दुर्घटनावश हितलाभ राइडर प्रीमियम, यदि कोई है, शामिल नहीं है, बशर्तिक पॉलिसी चालू अवस्था मे हो.

3. Revival of Discontinued Policies: If the Policy has lapsed due to non payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the lifetime of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium and before the date of maturity, on submission of proof of continued insurability to the satisfaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest (compounding half-yearly) at such rate as fixed by the Corporation from time to time. The Corporation however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Life Assured.

Revival of Accident Benefit Rider, if opted for, will only be considered along with the revival of the Basic policy and not in isolation.

4. Non-forfeiture Regulations: If less than three years' premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable.

However, if after at least three full years' premium have been paid in respect of this policy and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy. The Basic Sum Assured shall be reduced to such a sum, called Paid-up Sum Assured and shall bear the same ratio to the Basic Sum Assured as the number of premiums actually paid shall bear to the total number of premiums originally stipulated for in the policy.

The policy so reduced shall thereafter be free from all liabilities for payment of the within mentioned premiums, but shall not be entitled for Loyalty Addition. On the policy becoming paid-up the special provisions mentioned in the schedule will cease to apply. This Paid-Up Sum Assured shall be payable on the date of maturity or on Life Assured's prior death.

Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the death of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, Basic Sum Assured will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary.

Notwithstanding what is stated above, if at least five full years' premiums have been paid in respect of this policy, any subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the due date of first unpaid premium, Basic Sum Assured will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary. In addition to the above, Loyalty Addition, if any shall also be payable if death occurs after completion of five policy years.

These provisions do not apply to Accident Benefit Rider as they do not acquire any paid up value and the rider benefits cease to apply, if policy is in lapsed condition.

5. Tax: Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on premiums including extra premiums and Accident Benefit Rider premiums, if any. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

- 6. Forfeiture in Certain Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.
- 7. Suicide: This policy shall be void
- If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk the Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 80% of the premiums paid excluding any taxes, extra premium and Accident Benefit Rider premium, if any, provided the policy is inforce.

- ii) यदि बीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ) पुन: प्रवर्तन की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त प्रीमियमों के 80% (कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं वुर्घटनावश हितलाभ राइडर प्रीमियम, यदि कोई है, को छोड़कर) या अभ्यर्पण मूल्य, जो भी राशि अधिक हो, देय होगी, बशर्ते पॉलिसी चालू अवस्था मे हो. निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.
- अभ्यर्पण मूल्य : पॉलिसी को पॉलिसी अविध के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो.

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (कर की निवल) के प्रतिशत में होगा, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम एवं दुर्घटना लाभ हितलाभ, यदि इसे चुना गया है, के लिए प्रीमियम में शामिल नहीं हैं. यह प्रतिशत पॉलिसी अवधि एवं उस पॉलिसी वर्ष पर आधारित होगा, जिसमें पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया है और इस प्रलेख के लिए परिशिष्ट । के रूप में संलग्न है.

तथापि इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक हितकर हो. विशेष अभ्यर्पण मूल्य चुकता बीमाकृत राशि का (शर्त 4 में बताए अनुसार) रियायती मूल्य होगा. इस पॉलिसी के लिए लागू रियायत घटक आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन के साथ समय –समय पर बदल सकते हैं.

दुर्घटनावश हितलाभ राइडर पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा, यदि कोई है.

- 9. ऋण : पॉलिसी अविध के दौरान ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, जो निम्नांकित नियमों व शर्तों तथा ऐसे आगामी नियमों व शर्तों के अधीन होगा, जो निगम समय-समय पर तय कर सकता है, तथा जो ऐसी राशि के लिए पॉलिसी के अभ्यर्पण मृत्य के भीतर होगा.
- 1. लिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी पूर्णत: निगम के नाम पर समनुदेशित की जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी.
- 2. निगम को ऋण पर ब्याज का भुगतान संबंधित ऋण स्वीकृत करते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा. ब्याज का प्रथम भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ या छ: माह पूर्व आने वाली तिथि, इनमें जो भी संबंधित ऋण देने के तत्काल बाद आए, पर किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही आधार पर किया जाएगा. ब्याज कम से कम छ: माह के लिए लिया जाएगा;
- 3. उन पॉलिसियों के मामले में, जो प्रभावी नहीं हैं, यानी प्रदत्त पॉलिसियों के मामले में, यहाँ उपरोक्तानुसार वर्णित तिथि पर ऋण ब्याज का भुगतान बकाया होने की दशा में, निगम ऐसी पॉलिसियों को 30 दिन की सूचना अविध के पूरा होने के बाद किसी भी समय बंद करने का अधिकारी होगा, यदि ब्याज निरंतर बकाया रहते हैं. ऐसी पॉलिसियाँ बंद होने के बाद बंद होने की तिथि पर बकाया ऋण एवं संचित ब्याज की कटौती के बादअभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई है, के भुगतान की अधिकारी होंगी. यद्यिप प्रभावी पॉलिसियों की स्थिति में (जहाँ सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान किया गया है), बंद करने की कार्यवाही लागू नहीं होगी.
- 4. पॉलिसी के परिपक्व होने की स्थिति में या मृत्यु दावे की स्थिति में निगम ऋण राशि या उसके किसी भाग का, जो बकाया हो, पॉलिसी धन से ब्याज सहित काटने का अधिकारी होगा.

10. समनुदेशन और नामांकन :

ए) समनुदेशन : इस योजना के अंतर्गत बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 38 के अनुसार समनुदेशन की अनुमति है, जैसा समय—समय पर संशोधित हो. अनुच्छेद 38 के वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी प्रलेख के अनुलग्रक—II में दिए गए हैं.

समनुदेशन की सूचना निगम के उस कार्यालय में पंजीकरण के लिए जमा करना चाहिए जहाँ पॉलिसी को सेवाएँ दी जाती हैं.

बी) नामांकन: बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 39 के अनुसार, जैसा समय-समय पर संशोधित हो, जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन आवश्यक है. अनुच्छेद 39 के वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी प्रलेख के अनुलग्रक-III में दिए गए हैं.

नामांकन की सूचना या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम के उस कार्यालय में पंजीकरण के लिए जमा करना चाहिए जहाँ पॉलिसी को सेवाएँ दी जाती हैं. नामांकन के पंजीकरण में निगम इसकी वैधता या वैधानिक प्रभाव के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं करता या कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता.

11. एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर: इस पॉलिसी के उद्देश्य से दुर्घटना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "कोई भी दुर्घटना जो अचानक, अप्रत्याशित एवं अस्वैच्छिक रूप से होने वाली घटना है, जो बाह्य, हिंसक एवं दिखाई देने योग्य साधनों से हो."

अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान पर दुर्घटना लाभ उपलब्ध है. पॉलिसी के तहत जीवन बीमित के नाबालिग के होने के दौरान यह लाभ नाबालिग के जीवन पर उपलब्ध नहीं होगा, हालाँकि विशेष अनुरोध और अतिरिक्त प्रीमियम के प्राप्त होने पर यदि निगम के नियमों के अनुसार दुर्घटना लाभ के लिए योग्य पाए जाते हैं तो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पॉलिसी की वर्षगाँउ तिथि से दुर्घटना लाभ उपलब्ध होगा.

- ii) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the premiums paid till the date of death (excluding any taxes, extra premium and Accident Benefit Rider premium, if any,) or the surrender value, shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy.
- Surrender Value: The policy can be surrendered at any time during the policy term provided at least three full years' premiums have been paid.

The Guaranteed Surrender Value shall be a percentage of total premiums paid (net of tax) excluding any extra premiums and premiums for Accident Benefit Rider, if opted for. This percentage will depend on the policy term and policy year in which the policy is surrendered and is enclosed as Annexure - I to this document.

However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favorable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of Paid-up Sum Assured (as defined in Condition 4). These discounting factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDAI.

No surrender value will be available on Accident Benefit Rider, if any.

- 9. Policy Loan: Loan can be availed under this policy provided atleast three full year's premiums have been paid subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:
- The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;
- 2. Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months;
- 3. In case of policies which are not inforce i.e. paid-up policies, in the event of default in payment of loan interest on the due date as herein mentioned above, the Corporation would be entitled to foreclose such policies which continue to be in default, anytime after expiry of notice period of 30 days. Such policies when being foreclosed shall be entitled to payment of surrender value as on date of foreclosure, if any, after deduction of outstanding loan and accrued interest. However, in case of inforce policies (where all the due premiums stand paid), foreclosure action shall not be applicable;
- 4. In case the policy shall mature or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest from the policy moneys.

10. Assignments and Nominations:

a) Assignments: Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-II of this policy document.

The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

b) Nominations: Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-III of this policy document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

11. LIC's Accident Benefit Rider: An 'Accident' for the purpose of this policy is defined as "An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."

Accident benefit is available on payment of additional premium. This benefit will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured. However, Accident Benefit will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request and payment of additional premium, if found eligible for Accident Benefit as per the rules of the Corporation.

उपरोक्त कथन के अधीन, पूर्ण बीमित राशि के लिए दुर्घटना की तिथि पर किसी भी समय के लिए जब पॉलिसी लागू हो तब यदि दुर्घटना लाभ का राइडर चुना जाता है, तो यह लाभ पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा.

भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई सभी पॉलिसियों – जिनमें दुर्घटना हितलाभ अंतनिर्हित हो तथा समूह बीमा पॉलिसियाँ भी शामिल हैं – के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ की अधिकतम कुल सीमा किसी भी स्थित में रु. 100 लाख से अधिक नहीं होगी. यदि इसमें एक से ज्यादा पॉलिसियाँ हों और यदि कुल दुर्घटना लाभ रु. 100 लाख से ज्यादा हो तो लाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के अनुसार प्रथम रु. 100 लाख की बीमित राशि पर चालू होंगे.

यदि जीवन बीमित पूर्ण बीमित राशि के लिए किसी भी समय जब यह पॉलिसी लागू होती है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर या ऐसी चोट जिसके होने के 180 दिनों के भीतर सभी अन्य कारणों के पूरी तरह, सीधे और स्वतंत्र रूप से, जीवन बीमित की मृत्यु के रूप में परिणित होती है और यही निगम की संतुष्टि के लिए साबित कर दिया जाता है, निगम मूल बीमित रकम के अलावा एक अतिरिक्त राशि जो दुर्घटना लाभ बीमा राशि के बराबर हो, का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है. हालाँकि दुर्घटना के समय पॉलिसी को लागू रहना आवश्यक होगा, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि मृत्यु के समय यह लागू है या नहीं.

निगम अतिरिक्त दुर्घटना लाभ बीमित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा, यदि जीवन बीमित की मृत्यु:

- जानबूझ कर अपने को चोट पहुंचाने, आत्महत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण अथवा किसी मादक द्रव पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तुओं की सेवन करने से होगी अथवा,
- (ii) किसी दुर्घटना के कारण होगी, जबिक जीवन बीमित किसी भी वायुयान में, जो कि प्रासंगिक विनियमों के द्वारा ऐसे यात्रियों को ले जाने और स्थापित हवाई अड्डों के बीच उड़ान भरने के लिए अधिकृत है, उसमें किराए का भुगतान करने वाले, आंशिक भुगतान करने वाले या भुगतान न करने वाले यात्रियों के अलावा किसी भी हैसियत में वायुयान चालन या वैमानिकी से जुड़ा हो. जीवन बीमित यात्री के रूप में ऐसी स्थिति में उड़ान भर रहा हो, जबिक वायुयान में सवार होने पर वह किसी ड्यूटी पर न हो या उससे किसी उत्तराई की आवश्यकता हो; या
- (iii) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युध्द (भले ही युध्द की घोषणा की गई हो या न की गई हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, लंबी छलांग या किसी भी प्रकार की भागदौड़, पैराग्लाइडिंग या पैराशूटिंग, रोमांचक खेलों में भाग लेना के फलस्वरूप चोट लगने के कारण होगी अथवा,
- (iv) बीमित व्यक्ति द्वारा अपराधिक इरादे से कोई अपराधिक कृत्य करने के परिणाम स्वरूप हो; या
- (v) (ए) युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित युद्ध) में किसी भी देश के सशस्त्र बल या सैन्य सेवा में रोज़गार से उत्पन्न होती है. यह अपवर्जन लागू नहीं होता है, यदि जीवन बीमित तब किसी दुर्घटना का शिकार होता है जब वह ड्यूटी पर नहीं है या किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करते हुए किसी भी बचाव कार्य में शामिल किया गया था
 - (बी) किसी भी सैन्य, नौसेना या पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में शामिल होने से होती है. यह अपवर्जन लागू नहीं है, जहाँ पुलिस ड्यूटी में रहने के वौरान किसी दुर्घटना से हुए दुर्घटना लाभ को आवरित करने का विकल्प चुना गया हो; या
- (vi) बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की तिथि से 180 दिनों के बाद होगी.
- 12. निगम के लाभों में प्रतिभागिता: बशर्ते पॉलिसी पूर्णत: प्रभावी हो, तब निगम के अनुभव के आधार पर इस योजना के अंतर्गत पॉलिसियाँ निष्ठा वृद्धि के लिए योग्य होंगी. 5वें पॉलिसी वर्ष के पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर या पॉलिसी धारक के परिपक्वता तक जीवित रहने पर यदि कोई निष्ठा वृद्धि हो, तो वह ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर देय होती है, जो कि निगम द्वारा घोषित किये जा सकते हैं.

निष्ठा वृद्धि कम हुई चुकता पॉलिसियों के तहत देय नहीं होगा.

13. वावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं: पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय साधारण दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार, नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

जहाँ पॉलिसी पूर्णाविध दावे में परिवर्तित होती है या पॉलिसी के अभ्यर्पण की दशा में, बीमित व्यक्ति द्वारा आयु प्रमाण-पत्र, अगर आयु पहले स्वीकृत नहीं हुई है, के साथ विमुक्ति पत्र और मूल पॉलिसी प्रलेख, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता की ओर से एनईएफटी आदेश पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.

जहाँ पॉलिसी किसी दुर्घटनावश मृत्यु दावे में परिवर्तित हो, निम्नांकित सूची से लागू वक्तव्य Subject to stated above, if the Accident Benefit Rider is opted for, at any time when this Policy is in force for the full Sum Assured as on date of accident, this benefit will be available during the policy term.

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.100 lakhs. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit exceeds Rs.100 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 100 lakhs Sum Assured in order of date of policies issued.

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is in force for the full Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation in addition to Basic Sum Assured agrees to pay an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured. However, the policy shall have to be in force at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

The Corporation shall not be liable to pay the additional Accident Benefit Sum Assured, if the death of the Life Assured shall:

- be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, drug or narcotic; or
- (ii) take place as a result of accident while the Life Assured is engaged in aviation or aeronautics in any capacity other than that of a fare paying, part-paying or non-paying passenger in any aircraft which is authorised by the relevant regulations to carry such passengers and flying between established aerodromes. The Life Assured flying as a passenger in such capacity should have at that time no duties on board the aircraft or requiring descent therefrom: or
- (iii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventure sports; or
- (iv) result from the Life Assured committing any breach of law with criminal intent: or
- (v) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service of any country at war (whether war be declared or not). This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country
 - (b) arise from being engaged in police duty in any military, naval or police organization. This exclusion is not applicable where the option to cover Accident Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or
- (vi) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.
- 12. Participation in the Profits of the Corporation: Provided the policy is in full force, then depending upon the Corporation's experience the policies under this plan will be eligible for Loyalty Addition. The Loyalty Addition, if any, is payable at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation, on death after completion of 5th policy year or on Policyholder surviving to the maturity.

Loyalty Addition shall not be payable under reduced paid-up policies.

13. Normal requirements for a claim: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death, employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of a policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

Where policy results into a accidental death claim the applicable statements from the following list may be called to ascertain

उन परिस्थितियों की जाँच के लिए बुलाए जा सकते हैं, जिनमें मृत्यु हुई है :

- 1. प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) की एक प्रमाणित प्रति.
- 2. पुलिस अनुसंधान प्रतिवेदन की एक प्रमाणित प्रति.
- 3. पंचनामे की प्रति.
- 4. मृत्यु के संभावित कारण को जानने के लिए पोस्ट मार्टम रिपोर्ट. अगर पोस्ट मार्टम में विसरा को संरक्षित किया गया हो, तो उसकी विषय—वस्तुओं को जानने के लिए रासायनिक विश्लेषक प्रतिवेदन, कि बीमित व्यक्ति ने शराब, नशीली दवाओं, नारकोटिक्स या जहर का सेवन तो नहीं किया था.
- 5. समाचार पत्र की कतरन जहाँ दुर्घटना प्रतिवेदित हुई हो.
- अगर मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण हुई है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, यदि वाहन बीमित व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था.
- मृत्यु के बारे में सब-डिविज़नल मिजस्ट्रेट का अंतिम निर्णय इससे मृत्यु का वर्गीकरण 'स्वाभाविक/आत्महत्या/दूर्घटनावश' के रूप में होगा.
- 8. अगर दुर्घटना को पुलिस प्राधिकारियों को प्रतिवेदित नहीं किया गया है, जैसे कुत्ता या साँप काटने से मृत्यु, तो वैकल्पिक साक्ष्य, जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का वक्तव्य, ग्रामसेवक या शासकीय अधिकारियों का शपथ-पत्र, हमारा अपना पूछताछ प्रतिवेदन, इलाज करने वाले चिकित्सक या अस्पताल के प्रतिवेदन आदि पर्याप्त हो सकते हैं
- 9. अस्पताल उपचार अभिलेख, आदि.
- 14. वैधानिक परिवर्तन: इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों सहित नियम और शर्तें संबंधित कानुनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय हैं.
- 15. फ्री लुक पीरियड: यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियम और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आपित्रयों का कारण बताते हुये निगम को पॉलिसी लौटा सकता है. इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी निरस्त करके, जमा की गई प्रीमियम की राशि से रिस्क प्रीमियम (मूल योजना और दुर्घटना हितलाभ राइडर प्रीमियम अगर कोई हो,) एवं चिकित्सकीय परीक्षण, विशेष प्रतिवेदनों, यदि कोई हो, एवं स्टैम्प शुल्क के लिए शुल्कों की कटौती के बाद वापिस कर देगा.
- 16. लाभ चित्रण: मानक जीवन पूर्वधारणा पर आधारित आपका अनुकूलित लाभ चित्रण इस प्रलेख के साथ संतग्न है.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान, जैसा समय–समय पर संशोधित हो, लागू होंगे. वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी प्रलेख के अनुलग्नक – IV में दिए गए हैं

शिकायत निवारण यंत्रावली :

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के पास शाखा/विभागीय/ क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं. ग्राहकों की शिकायतों के त्विरत निवारण को सुनिश्चित करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट), जो कि http://www.licindia.in है, के माध्यम से कस्टमर फ्रेंडली इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ग्राहक मित्र एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) प्रस्तुत की है, जहाँ एक पंजीकृत पॉलिसी धारक अपनी किसी भी शिकायत/समस्या को सीधे पंजीकृत कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है. ग्राहक अपनी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर संपर्क भी कर सकते हैं.

यदि ग्राहक उत्तर से संतुष्ट नहीं हो या यदि उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो ग्राहक निम्नांकित में से किसी भी प्रकार के माध्यम से आईआरडीएआई के शिकायत प्रकोष्ठ में संपर्क कर सकता/सकती है :

- टोल फ्री नंबर 155255 / 18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर) पर फोन करके.
- complaints@irda.gov.in पर एक ई-मेल भेजकर.
- http://www.igms.irda.gov.in पर शिकायत ऑनलाइन पंजीकृत करके.
- कोरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए पता : कंज़्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, 9वाँ तल, युनाइटेड इंडिया टॉवर्स, बशीरबाग, हैदराबाद – 500029, आंध्र प्रदेश.
- 040-66789768 पर फैक्स के माध्यम से शिकायत भेजकर

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावाकर्ताओं के पास अपने दावों की समीक्षा हेतु उन्हें जोनल ऑफिस क्लेम्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी या सेन्ट्रल ऑफिस क्लेम्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी के समक्ष ले जाने का विकल्प होता है. प्रत्येक क्लेम्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी के सदस्य उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश होते हैं. दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं, जो ग्राहकों के लिए किफायती एवं त्वरित निर्णय उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं.

circumstances under which death took place:-

- 1) A certified copy of first information report (FIR).
- 2) A certified copy of police inquest report.
- 3) Copy of panchanama.
- 4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
- 5) News paper cuttings where accident is reported.
- If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
- Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'
- 8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient
- 9) Hospital treatment records, etc.
- 14. Legislative Changes: The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.
- 15. Free Look Period: If the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, he/she may return the policy to the Corporation within 15 days from the date of receipt of the policy stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for basic plan and Accident Benefit Rider, if any) for the period on cover and stamp duty.
- **16. Benefit illustration:** Your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.

Section 45 of Insurance Act, 1938:

The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-IV of this policy document.

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter: Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

कुल प्रदत्त प्रीमियम के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक Guaranteed Surrender Value factor applicable to total premiums paid

YO 0	_	/ 	_	
पालसा	अवाध .	/Policy	lerm	\rightarrow

Policy Year	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	80.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	80.00%	80.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11		80.00%	80.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12			80.00%	80.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13				80.00%	80.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14					80.00%	80.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15						80.00%	80.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16							80.00%	80.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17								80.00%	80.00%	77.27%	75.00%
18									80.00%	80.00%	77.50%
19										80.00%	80.00%
20											80.00%

परिशिष्ट - 2

समनुदेशन -बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

- 1. बीमा पॉलिसी का अंतरण या अर्थ्यपण, पूर्णतः या अंशः प्रतिफलसिहत या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्ट्रूमेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या अर्थ्यपणकर्ता या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या अर्थ्यपण के तथ्य और कारण, अश्यर्पिती के पूर्ववृत्त और अर्थ्यपण की शर्तों का उल्लेख करते हुए।
- वीमा कर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या अर्श्यपण को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या अर्श्यपण वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रायोजन हेतु उपयुक्त नहीं है।
- बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या अर्ध्यपण का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलसीधारक को सचित करेगा।
- बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।
- 5. उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या अभ्यर्पण पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंस्ट्रूमेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहा जहा अंतरण या अभ्यर्पण बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरिती या अभ्यर्पिती या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या अभ्यर्पण का लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इंस्ट्रूमेन्ट की प्रति, जिसे जब तक कि अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं आता है।
 - बशर्तें जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।
- जिस तिथि को उप–धारा (5) में संदर्भित नोटीस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाली सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या अभ्यंपण के

Annexure-II

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
- 2 An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
- 3 The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policyholder giving notice of such transfer or assignment.
- 4 Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
- Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:
 - Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.
- 6 The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the

अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या अभ्यंपण के एक से अधिक इंस्ट्रूमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रूमेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस सूर्पुद किए गए हैं।

अभ्यर्पितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

- 7. उप –धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या अर्भ्यपण के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या अभ्यर्पिती के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या अभ्यर्पिती, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निष्कर्षी साक्ष्य माना जाएगा कि उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है।
- 8. अंतरण या अर्भ्यपण के नियमों तथा शतों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप-धार (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या अभ्यर्पिती की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या अभ्यर्पण की तिथि को अंतरणकर्ता या अभ्यर्पण कता पित्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या अभ्यर्पणकर्ता की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को सरेन्डर कर सकता है या उसे ऐसी कार्रवाई की एक पार्टी बन सकता है।

स्पष्टीकरण – सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उन्नेख करता हो कि अर्भ्यपण या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक अर्भ्यपण या अंतरण को पूर्ण अर्भ्यपण या अंतरण माना जाएगा तथा अन्यर्पिती या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण अश्यर्पिती या अंतरिती माना जाएगा।

- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी अर्भ्यपण या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी अभ्यर्पिती या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधारों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।
- 10. किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में अर्ध्यपण इस दशा में किया जा सकता है कि
 - आं पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर अभ्यर्पिती या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है; या
 - ब. बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा :

तथापि सशर्त अभ्यर्पिती सरेन्डर की गई पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नहीं होगा।

11. उप-धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक अभ्यर्पण या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायिता आंशिक अभ्यर्पण या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि राशि के लिए पुन: अभ्यर्पण या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

परिशिष्ट – 3

समनुदेशन –बीमा कानून (संशोधन) अधिनयम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनयम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

 जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के पिरपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या विक्तयों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशिका भुगतान किया जाएगा।

शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

2. ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के जिरए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रह किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए दायी नहीं होगी।

priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

- 7 Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.
- Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in subsection (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

- Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.
- 10 Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that
 - a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or
 - b. The insured surviving the term of the policy, shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

11 In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

Annexure-III

Nomination – As per Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:
 - Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.
- Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

- बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिधारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।
- धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या अभ्यर्पण से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा

शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का अर्भ्यपण, जो कि अर्भ्यपण से समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके सरेन्डर मूल्य या पुन: अभ्यर्पण के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रह नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो :

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या अभ्यपिती द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या अभ्यर्पण, चाहे यह पूर्णत: हो या अंशत:, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या अभ्यपिती का हित होगा:

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या अभ्यर्पण पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन अभ्यर्पिती द्वारा पुनः अभ्यर्पण या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः अंतरण से स्वतः पुनः प्रचालित हो जाएगा।

- 5. जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु पिरपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु पिरपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।
- 6. जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को की जाएगी।
- 7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप–धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।
- 8. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे.
- उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदिनयों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।
- उप-धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।
- 11. जहां पॉलिसीधारकक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।
- इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6 विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो।

शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें में किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

- 3 The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.
- 4 A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

- 5 Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.
- 6 Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
- 7 Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.
- 8 Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
- 9 Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.
- 10 The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- 11 Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.
- 12 The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied;

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

समनुदेशन -बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार

- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आारंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइंडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या अभ्यर्षितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण I. – इस उप-धारा के के प्रयोजन हेतु, ''धोखेधड़ी'' का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्यः

- (अ) सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;
- (ब) बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था:
- (स) धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा
- (द) कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ़ चुन रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य है कि बोलने से चुप रहे या चुप रहना अपने आप में बोलने के बराबर हो।

3. उप-धारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानाकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं कि या कथि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा।

4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पर्नुचलन की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या अभ्यर्पितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है।

आगे शर्त यह है कि महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या अभ्यर्पितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मागंने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ़ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

Annexure-IV

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- 1 No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- 2 A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

- a the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true:
- b the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;
- c any other act fitted to deceive; and
- d any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

3 Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation - A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

4 A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

पृष्ठांकन हेतु स्थान SPACE FOR ENDORSEMENT



टिप्पणीः यदि आपको कोई शिकायत/परेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा हैः NOTE: In case you have any Complaint/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/Insurance Ombudsman whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता Address of Branch	शिकायत निराकरण अधिकारी का पता Address of Grievance Redressal Officer	लोकपाल का पता Address of Insurance Ombudsman
Address of Branch	Address of Grievance Redressal Officer	Address of insurance Offibudsman

टिप्पणीः इन निबंधनों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेज़ी भाष्य विधिमान्य होगा।
NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई गलती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्याः 512 IRDAI Regn. No.: 512